2026
12

FORM NO. III

फर्दअहकाम

नियम (26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..................मुकाम..................

कैलाशी बाई ....बनाम ....सरकार..................

..................मिसल न0....157/2026..................किस्म मु0..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोहुक्म की तामील म जारी हुए
20/1/26	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी कैलाश बाई पत्नि स्व. मोहनलाल ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम कैलाशी बाई पत्नि स्व. मोहनलाल नि0 हरिपुरा नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2073 से 76 मुताबिक खसरा नबर 276, 186,197,199,345,609 में काश्तगार का नाम कैलाशी बाई पत्नि स्व. मोहनलाल दर्ज है। जिसकी शुद्वि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संम्बधित पटवारी भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम कैलाशी बाई पत्नि स्व. मोहनलाल के स्थान पर कैलाश बाई पत्नि स्व. मोहनलाल किया जावे। निर्णय आज दिनांक...20/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।	